न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

(19)

विलोपित

निगरानी -2834/2018/सीधी/भू.रा.

1. छोटे पिता बड़कू
2. रहमतुल्ला पिता बड़कू
3. सुकुरूल्ला पिता बड़कू
4. अजीमुल्ला पिता बड़कू
5. नसरूद्दीन पिता बड़कू
6. जान मोहम्मद पिता नसीरूद्दीन

श्री विनोद भार्गव द्वारा आज दि. 9-5-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 24-5-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 9-5-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

सभी निवासी ग्राम बघोर, तहसील सिहावल, जिला–सीधी (म0प्र0)

––––––निगरानीकर्तागण

बनाम

जुमरात उर्फ जुमरतिया पत्नी मुख्यार अली निवासी ग्राम बघोर (गेरूआ) तहसील सिहावल, जिला–सीधी (म0प्र0) ––––––गैरनिगरानीकर्ता

पुनरीक्षण विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार सिहावल के राजस्व प्रकरण क्रमांक 8अ/6–अ/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 16.02.2018

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा–50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
09-05-2018

मान्यवर,

निम्नांकित तथ्यों व आधारों पर पुनरीक्षण प्रस्तुत है :–

पुनरीक्षण के सूक्ष्म तथ्य

अ– यह कि न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार सिहावल ज़िला–सीधी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(25)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2834/2018/सीधी/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12/06/2019	आवेदक अधिवक्ता श्री विनोद भार्गव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार सिहावल के प्रकरण क्र. 8/अ-6-अ/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 16.02.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 12.09.2019 को कलेक्टर, जिला सीधी के समक्ष उपस्थित हों। **(महेश चन्द्र चौधरी)** **सदस्य**	